

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) गुलाबपुरा

मुकाम.....

श्रीमति बाली पत्नी प्रहलाद ब्राह्मण

बनाम.....

राज० सरकार जरिये तहसील्दार, हुरडा

निवासी फलामादा

किस्म मुकदमा वादपत्र-88-188 राट्टिन

49 / 2015

सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	-----------------------------------	---

16/5/2018

पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प कोर्ट फलामादा पर पेश हुई। वादीया श्रीमति बाली, व प्रहलाद ब्राह्मण एवं उनके अधिवक्ता श्री सुरेश दाधीच उपस्थित हुये। उपस्थित वादीगण के द्वारा कथन किया गया कि पटवार व गिरदावर ने हमे मौके पर जोकर नमती कर बता दीया है। हमारी छातेदारों में रास्ता नहीं निकल रहा है। अतः प्रकरण को कार्यवाही बन्द करवाई जायें।

मेने उपस्थित वादीगण को सुना। प्रकरण में पटवारों हत्या के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व मौका पर्चा का जवलीक किया गया। जिस अनुसार विवादित रास्ता आराजी नं० 351 व 345 के मध्य से होकर निकलना प्रकट आया है। जो कि वादीगण को आराजी के मध्य से नहीं होने से वादीगण को उक्त रास्ते से कोई आपत्ती नहीं है।

ऐसी स्थिति में वादीगण के द्वारा चरहा गया अनुचित शोष नहीं होने से इस प्रकरण को कार्यवाही इसी स्टेज पर बन्द की जाती है। पत्रावली शुभार फैसल होकर दार्जिलिग कलेक्टर को आदेश आज दिनांक 16/5/2018 को छाली लोक अदालत कैम्प कोर्ट फलामादा पर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर  
(S. D. O.) गुलाबपुरा  
जिला-भीलगाड़ा

श्रीमति

प्रहलाद  
21/5/18

